न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र सं0 – 27/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बजरंगलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सोनी निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जायल।

उपस्थिति–

1– श्री रामेश्वरलाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

2– श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

आदेश दिनांक 24.06.19

(1) तहसीलदार, जायल द्वारा प्रार्थना पत्र अधीन धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम जायल के नामान्तरकरण सं. 406 जो आदेश दिनांक 04.6.75 के द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने स्वीकृत किया है, को निरस्त करवाये जाने को लेकर प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 29.04.15 के रेफरेन्स स्वीकार कर प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर को भिजवाये जाने के आदेश दिये गये है, से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.15 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

(2) उभयपक्ष के वकुलाय की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि–

(2)(1) न्यायालय हाजा के समक्ष तहसीलदार जायल द्वारा धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पेश की गई कि ग्राम जायल के नामान्तरकण सं. 406 दिनांक 04.06.75 के द्वारा ग्राम जायल के खसरा सं. 2775/51 रकबा 15 बीघा भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के पिता लक्ष्मीनारायण के नाम भर कर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी नागौर ने स्वीकृत किया है, को पुनः राज्य सरकार के पक्ष में रेकर्ड में अंकित करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया तथा स्व. लक्ष्मीनारायण फौत होने के पश्चात प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण सं. 1317 दिनांक 05.05.90 स्वीकृत किया तथा भूमि की किस्म बारानी 3 दर्ज की। यह भी आपत्ति की गई कि नामान्तर के पूर्व किसी प्रकार के कागजात आवंटन संबंधित अप्रार्थी द्वारा पेश नही किये यह भी आपत्ति की गई कि आवंटन को 40 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही खातेदारी अधिकार का नामान्तरकरण भर दिया गया। प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत

अपर कलक्टर, नागौर

जवाब पेश किया तथा अन्य आवंटीगण जो उसी समय नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की। योग्य न्यायालय द्वारा तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.15 को स्वीकार किया जा कर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने की अभिशंषा की। उक्त आदेश पुर्न विलोकन किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

(2)(2) माननीय न्यायालय द्वारा अपना आदेश पारित किया। जिस में न्यायालय हाजा द्वारा ऐसी भूल की गई जो अभिलेख देखने से प्रकट होती है।

(2)(3) न्यायालय हाजा के लिये यह आवश्यक था कि आवंटन संबंधित पत्रावलियां अथवा आदेश की जांच की जाती, आवंटन के दस्तावेजात मूल रूप से तहसील में अथवा उपखण्ड अधिकारी नागौर के कार्यालय में थे। एक सक्षम अधिकारी अर्थात उपखण्ड अधिकारी को आवंटन का आदेश पारित करने का अधिकार था तथा ऐसा आदेश पारित करने में सक्षम थे। उक्त आदेश उनके द्वारा जायल केम्प रखा वहां आदेश पारित किया गया। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे अभियान चलाये जाते है तथा राजस्व अधिकारियों को आदेश दिये जाते है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर ऐसा पता लगावे कि अमुक क्षेत्र में कितने भूमि हीन है तथा उनको काश्त करने हेतु भूमि की आवश्यकता है। उस समय इसी प्रकार से किसी राज्य सरकार के आदेश के अनुसरण में ग्राम जायल गये तथा वहां भूमिहीन काश्तकारों बाबत जांच की। प्रार्थी का पिता तथा अन्य व्यक्ति भूमिहीन पाये गये। इसलिये उन्होने मौका पर ही आवंटन आदेश पारित किये तथा मौका पर ही नामान्तरकरण पटवारी द्वारा भरे जाने पर स्वीकृत कर दिया। इसलिये उक्त आवंटन आदेश तथा नामान्तरकरण एक स्वभाविक प्रक्रिया थी। जिस बाबत संदेह करने का कारण न तो तहसीलदार को उपलब्ध था। न न्यायालय हाजा को। तहसीलदार द्वारा मुकम्मिल जांच किये बिना रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर दिया तथा न्यायालय हाजा द्वारा भी आवंटन संबंधित पत्रावलियों बाबत विस्तृत जांच किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया। जब कि न्यायालय हाजा के लिये आवश्यक था कि इस बाबत विस्तृत जांच की जावे।

यहां यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उसी समय तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा और भी आवंटन के आदेश करन के नामान्तरकण स्वीकृत किये थे। उनके विरूद्व इस प्रकार की रेफरेन्स कार्यवाही आज तक नही की गई। इसलिये एक मात्र प्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही करना यह प्रकट करता है कि तत्समय आवंटन हुए थे। जिन को स्वीकार किया जा रहा है। ऐसी दशा में अप्रार्थी द्वारा अन्य नामान्तरकरण पेश किये गये उन पर कोई गौर नही किया गया। इस कारण से भी न्यायालय हाजा द्वारा ऐसी भूल की गई, जो अभिलेख से ही प्रकट होती है।

(2)(4) प्रथम नामान्तरकरण दिनांक 04.06.75 को भरा गया तथा जमाबंदी में लगातार इन्द्राज होते हुए भी ऐसी कोई शिकायत नही थी कि प्रार्थी अथवा उसके पिता द्वारा खातेदारी के कर्तव्यों के विपरीत कोई कार्य किया गया हो। ऐसी दशा में 10 साल बाद विधिनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। इसी विधि के अनुसार 10 साल की अवधि व्यतीत होने के बाद खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त हो गये। स्व. लक्ष्मीनारायण की देहान्त होने पर उसके पुत्र के नाम खातेदारी दर्ज की गई।

अपर कलक्टर, नागौर

(2)(5) न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश में यह विवेचन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी को नामान्तरकरण स्वीकार करने का अधिकार नही है। जो सही नही है। उपखण्ड अधिकारी में तहसीलदार की समस्त शक्तियां निहित करती है। इसलिये नामान्तरकरण सक्षम अधिकारी द्वारा भरा गया।

(2)(6) न्यायालय हाजा द्वारा रेफरेन्स को परिसीमा में मान कर आदेश पारित किया गया। जबकि प्रार्थी व उस का पिता सन 1975 से पूर्व मौका पर काबिज है तथा 1975 से बहेसियत खातेदार काबिज है। प्रार्थी के विरूद्व रेफरेन्स परिसीमा के बाहर होने से भी निरस्तनीय था। यह एक महत्वपूर्ण आधार है। जिस बाबत न्यायालय हाजा का ध्यान आकर्षित किया गया था। इस पर पुर्नविलोकन किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

(2)(7) न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 29.04.15 को पारित किया गया। प्रार्थी ने प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.15 को पेश किया। जिसकी नकल दिनांक 18.5.15 को तैयार हुई। यद्यपित नकल दिनांक 18.05.15 को प्रार्थी को प्राप्त हुई, परंतु दिनांक 15.05.15 को ही दी जाने का इन्द्राज कर दिया गया। जो सही नही है। फिर भी यदि एक दिन प्रतिलपि प्राप्त होना माना जावे तो भी 31 दिन में पुर्नविलोकन आदेश पेश है। विधिनुसार पुर्नविलोकन आवेदन पत्र धारा 86 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत पेश किया जाता है। जिसके अन्तर्गत धारा 86(2)(iii) राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत परिसीमा 90 दिन की निर्धारित है। इसलिये यह आवेदन पत्र परिसीमा के भीतर पेश किया गया है।

(3) राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण सं. 406 दिनांक 4.6.75 बिना किसी आदेश के भरा गया है। ऐसा कभी भी आवंटन नही हुआ है। जब कोई आवंटन आदेश ही अस्तित्व में नही है, तो ऐसे आधार पर नामान्तरकरण नही भरा जा सकता है। यदि आवंटन होता तो ऐसे साक्ष्य प्रार्थी द्वारा ही प्रस्तुत किये जा सकते। मगर ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत जिससे कि आराजी का लक्ष्मीनारायण के पक्ष में आवंटन हुआ हो, कोई आदेश की प्रति प्रस्तुत नही की गई है। पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई तथ्य नही लाये गये है जो न्यायालय हाजा के आदेश में विश्लेषित नही किये गये हो, बल्कि न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 29.04.15 पूर्ण विस्तार से एवं सभी तथ्यो को विश्लेषित करते हुए पारित किया गया है। जो विधि सम्मत है तथा इस प्रकार पारित आदेश पर पुनरावलोकन किया जाना विधिसम्मत नही है।

(4) उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में नामान्तरकरण सं. 406 के द्वारा प्रार्थी के पिता लक्ष्मीनारायण के पक्ष में ग्राम जायल के खसरा नं. 2774 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटन आदेश के 10 वर्ष पूरे होने का कारण बताते हुए नामान्तरकरण दर्ज किया गया। जिसकी स्वीकृति तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 04.06.75 को दी गई है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता को किस आदेश से आवटन / नियमन हुई है। ऐसा कोई दस्तावेजी आधार रेकर्ड पर प्रस्तुत नही किये गये है। यहां तक कि नामान्तरकरण सं. 406 से पहले उसे गैर खातेदार किस नामान्तरकरण से, किस जमाबंदी चौसाले में अंकन हुआ है, ऐसा भी कोई दस्तावेजी आधार नही है। उपखण्ड

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

अधिकारी को नामान्तरकरण निस्तारित करने की शक्तियां कभी भी रही हो। ऐसा कोई परिपत्र अथवा विधिक सिद्वान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है। बिना किसी आवटन आदेश के गैर खातेदारी दिया जाना व उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना विहित अधिकारिता के ही गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 406 निस्तारित करना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। पूर्व आदेश दिनांक 29.04.15 में प्रार्थी द्वारा उठाये गये सभी उजर / तथ्यो को विश्लेषित कर आदेश पारित किया गया है तथा वर्तमान प्रार्थना पत्र में भी ऐसे कोई नये तथ्य नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधारो पर नही है।

(5) उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र ठोस आधार पर नही होने से खारिज किया जाता है। मूल राजस्व रेफरेन्स सं. 1/2014 राजस्थान सरकार बनाम बजरंगलाल में पारित आदेश दिनांक 29.04.15 यथावत कायम रखा जाता है। मूल पत्रावली के साथ यह प्रार्थना पत्र संलग्न किया जावे तथा प्रकरण मूल ही राजस्व मंडल अजमेर को भिजवाया जावे।

(6) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर